

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

श्रीठासीन अधिकारी - महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर:- 143/2022 वाद पत्र

दिनांक 30.06.2022

### आदेश

प्रार्थी के खाता दुरस्ति प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पटवार हल्का दहीमथा भु0अ0निरीक्षक बैमाली व तहसीलदार करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 के खाता सख्या 134 पर आ0नं0 154 रकबा 0.05 बीघा किस्म गे0 मु0 कुआ जिसमे भुर सिंह पिता बेरिसाल सिंह का सयुक्त खातेदार दर्ज हाने के उपरान्त नामान्तरण सख्या 106 दिनांक 01.04.1977 से भुर सिंह पिता बेरिसाल सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान दो पुत्रो मे से एक पुत्र माल सिंह पिता भुर सिंह का नाम संहवन से छुट गया जिसे पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही कर माल सिंह पिता भुरसिंह के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
(महीपाल सिंह)  
सहायक कलक्टर करेड़ा  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

